मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
(सेन्टर स्टेट फायनेंस सेल)
-:-

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त

अधिसूचना

क्रमांक 12-9 चार-ब-तीन-तरक्की, 94: मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम :- इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (वेतन तथा भत्ता) नियम, 1994 है ।

2. अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते :- कोई व्यक्ति जो आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूर्णकालिक सेवा के लिए नियुक्त किया गया है ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं का हकदार होगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है :

परंतु जहां आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो वह ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के, जिसका इस उप नियम में उपबंध किया गया है के बदले में ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं का हकदार होगा जो मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) तथा उसके ~~अधीन~~ आधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी मंत्री को अनुज्ञेय हैं ।

3. अन्य सदस्यों के वेतन तथा भत्ते :- (1) कोई व्यक्ति जो आयोग के सदस्य के रूप में पूर्णकालिक सेवा के लिए नियुक्त किया गया है ऐसे वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं का हकदार होगा जो मध्यप्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को अनुज्ञेय है :

परंतु जहां राज्य सरकार, किसी भारतीय विश्व विद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य संस्था या स्वायत्त निकाय के अधीन सेवा में का कोई व्यक्ति आयोग के सदस्य के रूप में पूर्णकालिक या अंशकालिक सेवा के लिए नियुक्त किया जाए वहां वह ऐसे वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी सेवक के रूप में या जैसी भी स्थिति हो, उसके द्वारा प्राप्त वेतन तथा भत्तों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में अवधारित करे ।

(2) कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवक या भारतीय विश्वविद्यालय भारतीय रिजर्व बैंक या कोई अन्य संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवक नहीं है, आयोग के सदस्य के रूप में अंशकालिक सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है वह—

(क) ऐसे कर्तव्य पर उसके द्वारा ऐसी बिताई गई कालावधि के लिए रु. 250/- प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने, तथा

(ख) ऐसे अंशकालिक सदस्य के रूप में उसके द्वारा की गई किसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता (किन्तु दैनिक भत्ता नहीं) ऐसी दरों से जो मध्यप्रदेश सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं, प्राप्त करने का हकदार होगा :

परंतु जहां इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति राज्य विधान मंडल का सदस्य है, वहां वह इस उप नियम में उपबंधित भत्तों के बदले में ऐसे वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं का हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में उसे अनुज्ञेय वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं और उसे दिए गए दर्जे को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में अवधारित करें ।

4. <u>आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध</u>:- ऐसे व्यक्ति के मामले में जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

IndiaCode

सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या रिजर्व बैंक या किसी भारतीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त सेवक होते हुए आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पूर्णकालिक सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, इन नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय ऐसे वेतन को पेंशन से तथा उसके द्वारा प्राप्त सेवानिवृत्तिक फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन से कम किया जायेगा ।

5. भाड़े की वसूली:- जहां राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य को जो पूर्णकालिक या अंशकालिक सेवा के लिए नियुक्त किया जाए, निवास की जिसके अंतर्गत अस्थायी वास सुविधा आती है, व्यवस्था की जाती है जिसके लिए वह इन नियमों के अधीन हकदार नहीं हैं वहां ऐसा अध्यक्ष या सदस्य यथास्थिति, उस निवास या वास सुविधा के लिए मूल [redacted] फन्डामेन्टल्स नियमों के [redacted] नियम 45 -ख- के अनुसार भाड़े का भुगतान करेगा ।

6. अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को अनुज्ञेय अवकाश वेतन :-

जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकारी सेवक या किसी [redacted] भारतीय विश्वविद्यालय या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवक नहीं है, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पूर्णकालिक सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, और ऐसा व्यक्ति ऐसी नियुक्ति के पश्चात ऐसी सेवा करने से रुग्णता के कारण या अन्यथा अस्थाई रूप से असमर्थ हो जाता है वहाँ वह उसके द्वारा यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में की गई वास्तविक पूर्णकालिक सेवा की कुल अवधि की 1/12 अवधि से अनधिक अवधि के लिए उसी दर से अवकाश वेतन पाने का हकदार होगा जिस दर पर कि वह उस समय हकदार होता जबकि वह पूर्णकालिक सेवा कर रहा था ।

7. इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न अन्य व्यक्ति जो आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक सेवा में नियुक्त किया जाता है, ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य

मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवधारित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर. रामानुजम)
अवर सचिव

क्र. 130/चार-ब-सीएसएफसी.94: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 129/चार-ब-सीएसएफसी.94, दिनांक 8 अगस्त 1994 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

IndiaCode

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर. रामानुजम)
अवर सचिव

Bhopal, the 8 August, 1994.

No. 129/IV/B/CSFC/94: In exercise of the powers conferre conferred by Section 8 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following rules, namely:--

RULES.

1. Short title: These rules may be called the Madhya Pradesh State Finance Commission (Salaries and Allowances) Rules, 1994.

2. Salary and Allowances of the Chairman: A person appointed to render whole-time service as the Chmirx Chairman of the Commission shall be entitled to such salary, allowances and other facilities as are admissible to a Judge of a High Court.

..contd

Provided that where any person appointed as Chairman of the Commission is given the rank of a Cabinet Minister, he shall, in lieu of the salary, allowances and other facilities provided for in this sub-rule, be entitled to such salary, allowances and other facilities as are admissible to a Minister under the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No.23 of 1972) and the rules made thereunder.

3. Salary and Allowances of other Members:(1)A person appointed to render whole-time service as a Member of the Commission shall be entitled to such salary, allowances and other facilities as are admissible to a Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh:

Provided that a person in service under the State Government, an Indian University, the Reserve Bank of India or any other institution or autonomous body appointed to render whole-time or part time service as a Member of the Commission shall draw such pay and allowances as the State Government having regard to the pay and allowances drawn by him as a Government servant or, as the case may be, may in each case, determine.

(2) A person, not being a Government servant or a servant of an Indian University, Reserve Bank of India or any other institution or autonomous body, appointed to render part-time service as a Member of the Commission shall be entitled,—

(a) to draw a daily allowance for the period spent by him on such duty at the rate of Rs.250/- per day; and

(b) to draw travelling allowance (but not daily allowance) for any journey performed by him as such a part-time Member at such rates as are admissible to a Secretary to the Government of Madhya Pradesh;

contd. -6

Provided that where a person so appointed is a Member of the State Legislature, he shall, in lieu of the allowances provided for in this rule, be entitled to such salary, allowances and other facilities as the State Government having regard to the salary, allowances and other facilities admissible to him as a Member of the State Legislature and the rank given to him, may in each case determine.

4. **Special Provision for retired persons appointed as Chairman or Member of the Commission:** In the case of person, being a retired Supreme Court or High Court Judge, retired Government servant or a retired servant of Reserve Bank, or an Indian University or any other institution or autonomous body, appointed to render whole time service as Chairman or Member of the Commission, salary as admissible under these rules shall be reduced by pension and pension equivalent of other forms of retirement benefits drawn by him.

5. **Recovery of Rent:** Where the State Government provides to a Chairman or a Member appoonted to render whole-time or part time service with a residence including temporary accommodation, to which he is not entitled under these rules, such Chairman or Member shall pay rent for that residence or accommodation, as the case may be, in accordance with Rule 45-A of the Fundamental Rules.

6. **Leave salary admissible to Chairman and other Members:**

Where a person, not being a Government servant or a servant of an Indian University, or the Reserve Bank of India, or any other institution or autonomous body, is appointed to render whole time service as the Chairman or Member of the Commission and such person after such appointment is temporarily incapacitated, by illness or otherwise from rendering such service, then, he shall be entitled to leave salary at the same rate as when rendering whole-time service, for an aggregate period not exceeding one-twelfth of the period of whole time service actually rendered by him as such Chairman

—7—

Member , as the case may be.

6. A person other than the one specified under these rules, appointed as Chairman or Member of the Commission to render either whole time or part-time service, shall be entitled to such salary, allowances and other facilities as the State Government having regard to circumstances of each case, may determine.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(R. RAMANUJAM)
Additional Secretary to Government.

IndiaCode